उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-29/2023/1845/तीस-4-2023-17(सा0)/2018
लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर , 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा- 65, 95, 96, 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह आदेश देती हैं कि सरकारी अधिसूचना संख्या-11/2022/ 526/तीस-4-2022-17(सा0)/2018, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 222 ठ के उप-नियम (1)(ण), (2)(त), (3)(ञ) के अधीन यथा उपबंधित विद्यालय वैनों में सी0सी0टीवी कैमरे का अनिवार्य होने का उपबन्ध, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 03 माह पश्चात् प्रभावी हो जायेगा।

आज्ञा से,

एल0वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 29/2023/1845(1)/तीस-4-2023-17(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

वी0के0 सोनकिया
विशेष सचिव।

संख्या- 29/2023/1845(2) /तीस-4-2023-17(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2023/1845(3) /तीस-4-2023-17(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त/कार्मिक/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(9) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no 29/2023/1845/XXX-4-2023-17(sa)/2018, dated December 29 , 2023 .

Notification

No. 29/2023/1845/XXX-4-2023-17(sa)/2018
Lucknow; Dated: December 29 , 2023

In exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to order that the provision of compulsory CCTV camera in the school vans as provided under sub-rule (1)(O), (2) (P), (3) (J) of rule 222 L of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 as amended by Government notification no. 11/2022/526/XXX-4-2022-17(sa)/2018, dated 02 May, 2022 shall come into effect after 03 months from the date of publication of this notification in the Gazette.

By Order,

L.Venkateshwar Lu
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।